

प्रेषक,

लोक सूचना अधिकारी मुख्यालय,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
भोपालपानी (बड़ासी), रायपुर-थानों रोड,
देहरादून।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
भोपालपानी (बड़ासी), रायपुर-थानों रोड,
देहरादून।

संख्या /सू0का0अधि0अधि0-05/2013-14

दिनांक 19 सितम्बर, 2013

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम-05 से सम्बन्धित मैनुअल को अद्यतन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 से सम्बन्धित सूचना मैनुअल 1-17 तक को अद्यतन किया जाना है, जोकि विशेष रूप से स्थापना अनुभाग, लेखा अनुभाग, आहरण वितरण अनुभाग, भूविज्ञान अनुभाग व खनन अनुभाग से सम्बन्धित सूचनाओं को अद्यतन किया जाना है। महोदय यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि सूचना मैनुअल-02, जोकि अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों और कर्तव्यों से सम्बन्धित है, आज तक प्रमाणित व सत्यापित नहीं किया गया है और न ही अधिकारियों/कर्मचारियों (प्रत्येक पदवार) की शक्तियों व कर्तव्यों को परिभाषित व वर्गीकृत (Defind and Classified) किया गया है। अतः महोदय से अनुरोध है कि विभाग के अन्तर्गत प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी की शक्तियों व कर्तव्यों को परिभाषित व वर्गीकृत करने हेतु सम्बन्धित को दिशा-निर्देश देना चाहें।

अतः महोदय से अनुरोध है कि अपने स्तर से विभाग के अन्तर्गत समस्त पटल/अनुभाग के प्रभारी अधिकारियों को सूचना मैनुअल को अद्यतन किये जाने हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश देना चाहें, जिससे सूचना के अधिकार मैनुअल को अद्यतन किया जा सके तथा सूचना मैनुअल अद्यतन करने के उपरान्त विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके, जिससे आम जनता अद्यतन खनन व स्थापना से सम्बन्धित शासनादेशों व अन्य अद्यतन विभागीय जानकारी का लाभ उठा सकें।

भवदीय

(एच0आर0 सिंह)

लोक सूचना अधिकारी मुख्यालय

संख्या 1139 /सू0का0अधि0अधि0-05/2013-14 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. माननीय मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून।
2. प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना मैनुअल को अपने स्तर से भी अद्यतन कराने का कष्ट करें।
3. कार्यालयाध्यक्ष/स्थापना प्रभारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत समस्त सूचना मैनुअल (विशेष रूप से

- सूचना मैनुअल 02, 03, 05, 06 व 08) को अपने स्तर से अद्यतन कराते हुये अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. मुख्य खान अधिकारी/संयुक्त निदेशक, खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत खनन अनुभाग से सम्बन्धित सूचना मैनुअल को अपने स्तर से अद्यतन कराते हुये अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
 5. लोक सूचना अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, जिला टास्क फोर्स कार्यालय टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, चमोली/रूद्रप्रयाग, देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा/बागेश्वर, पिथौरागढ़/चम्पावत, तथा नैनीताल/उधमसिंहनगर को इस आशय के साथ प्रेषित कि अपने-अपने कार्यालयों के सूचना के अधिकार अधिनियम-05 से सम्बन्धित सूचना मैनुअल को अद्यतन करते हुये अधोहस्ताक्षरी को कृत कार्यवाही से सूचित कराने का कष्ट करें।
 6. श्री दीपेन्द्र सिंह चन्द, सहायक भूवैज्ञानिक (वैब इन्फॉर्मेशन मैनेजर), भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, मुख्यालय देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि अधोहस्ताक्षरी के द्वारा कृत कार्यवाही के समस्त पत्रों को वेबसाइट पर अपलोड करते हुये अधोहस्ताक्षरी को भी सूचित करने का कष्ट करें।

(एच0आर0 सिंह)

लोक सूचना अधिकारी मुख्यालय